

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

आर.ई.ओ. 49

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अंज-पीपीएण्ड एगो/फा० सा.शाखा/प्रे०2319 दिनांक ६-३-०३


आदेश

विषय:- तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के  
संयोजन में।

\*\*\*\*\*

समन्वय समिति की 52 वी बैठक दिनांक 10 व 11 फरवरी, 2003 में  
लिये गये निर्णयानुसार निगम के आदेश सं. आर.ई.ओ.35 दिनांक 24.10.2002 में  
आंशिक संशोधन करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश पंचायत  
समिति/तहसील मुख्यालय पर लागू नहीं होंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

  
मुख्य अभियन्ता ( मुख्यालय )  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।